भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3140
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने में देरी

3140. श्री लालजी वर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) अंबेडकर नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के भीटी, कटेहरी, जलालपुर, आलापुर तथा अकबरपुर विकास खंडों के छोटे-छोटे आवासीय बस्तियों, टोलों एवं दूरस्थ बस्तियों में भौगोलिक परिस्थितियों, दूरी तथा तकनीकी कारणों से पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने में हुए विलंब का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास आधिकारिक अभिलेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुरूप वास्तव में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की पुष्टि करने हेतु कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जल स्रोतों के स्थायी पुनरुद्धार के लिए वर्षा जल संचयन तथा ग्रे-वाटर प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों को अनिवार्य किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) पेयजल अवसंरचना के सतत रखरखाव हेतु ग्राम पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने तथा इस संबंध में स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के अवसर सृजित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण

पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे को शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि अम्बेडकर नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के भीटी, कटेहरी, जलालपुर, आलापुर और अकबरपुर विकास खंडों की छोटी बसावटों, टोलों और दूरस्थ बसावटों में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने में परियोजना के कार्यान्वयन और समग्र कार्य-निष्पादन कार्यक्रम में भौगोलिक बाधाओं, दूरी और कोविड-19 महामारी, विभिन्न संरचनाओं के लिए अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता, रेलवे, वन और पर्यावरण, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं जल संसाधन जैसे विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी, कुशल जनशक्ति, उपकरण और मशीनरी की अनुपलब्धता, एमएस पाइप, एचडीपीई पाइप, सौर पैनल, स्टील, और अन्य आवश्यक घटकों आदि सहित महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की सीमित उपलब्धता जैसे तकनीकी कारणों से विलंब हुआ।

(ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ पेयजल की वास्तविक आपूर्ति को सत्यापित करने और नल जल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने सांविधिक प्रावधानों के अध्यधीन लक्षित प्रदायगी और विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए परिवार के मुखिया के आधार को जोड़ते हुए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है जिसमें सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, भुगतान करने से पहले तीसरे पक्ष का निरीक्षण, प्रायोगिक आधार पर सेंसर-आधारित आईओटी समाधान के माध्यम से गांवों में जल आपूर्ति की माप और निगरानी आदि शामिल हैं।

जल जीवन मिशन के तहत सेवा प्रदायगी और सामुदायिक स्वामित्व को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, **जल सेवा आकलन** पहल अवसंरचना निर्माण से निरंतर सेवा प्रदायगी तक एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो ग्राम पंचायतों और ग्राम संस्थानों को हर घर जल (एचजीजे) गांवों में पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थिरता का आकलन करने के लिए केंद्र में रखती है।

(ग) मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), आरएलबी/पीआरआई को 16वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि जैसी अन्य स्कीमों के साथ सामंजस्य से स्रोत पुनर्भरण अर्थात समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान 2019 में देश के 256 जल संकट वाले जिलों में जन भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अलावा, विशेष रूप से पेयजल की उपलब्धता के लिए स्थायी

जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए, जेएसए-सीटीआर को 2023 में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ कार्यान्वित किया गया था।

सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक, सामुदायिक नेतृत्व वाले उपायों को कार्यान्वित किया है, जो भूजल पुनर्भरण और ग्रेवाटर प्रबंधन जैसे अनिवार्य स्रोत स्थिरता घटकों को एकीकृत करता है।

(घ) जेजेएम के तहत, ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति को गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है। वीएपी तैयार करते समय, आरएलबी/पीआरआई को जल और स्वच्छता के लिए वित्त आयोग द्वारा किए गए सशर्त अनुदान, जेजेएम, एसबीएम (जी), वीबीजी-राम-जी, एमपी/एमएलए - स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि (डीएमडीएफ), सीएसआर कोष, सामुदायिक अंशदान आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का क्रमबद्ध तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें व्यापक कौशल से लैस किया जा सके और "नल जल मित्र" तैयार किए जा सकें, ताकि वे योजना ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकें और अपने गांव में कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पम्प ऑपरेटर आदि के रूप में पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के निवारक अनुरक्षण सहित मामूली मरम्मत और रखरखाव करने में सक्षम बन सकें।
